लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – गौरव अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
064/2023 (GCMS 2023/252)	31.08.2023	31.10.2023

अनवान

अमित दशोरा निवासी कुम्भानगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9414110539)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला खेल अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी एवं जिला खेल अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 05.07.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./064/2023(सू.अ.)(20.09.2023)/649 दिनांक 01.09.2023 से अपील मेमों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला खेल अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना-पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 20.09.2023 अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। जिला खेल अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से पत्रांक जि.खेलकूद प्रशि.के/चित्तौड़/2023/1027 दिनांक 18.10.2023 से जवाब प्राप्त हुआ है। जिला खेल अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05.07.2023 को मूल ही सचिव राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद जयपुर को भिजवाया गया है, क्योंकि अपील अधिकारी स्थानीय कार्यालय न होकर मुख्यालय ही अपील अधिकारी है। जिला खेल अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रशासनिक एवं चुनाव कार्यो की व्यस्तता से अपील अपीलार्थी के निस्तारण में अल्प कालीन विलम्ब हुआ है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा जिला खेल अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स/जवाब का गहनतापूर्वक अध्ययन/परिशीलन/अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। हस्तगत प्रकरण में जिला खेल अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस न्यायालय द्वारा प्रथम अपील ग्रहण किये जाने की क्षेत्राधिकारिता का प्रश्न उठाया गया है। हस्तगत प्रकरण में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अतः सर्वप्रथम इस तथ्य को विवेचित किया जाना उचित प्रतीत होता है। हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद्, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के आदेश क्रमांक/एफ–1/संस्था( )2002/1561 दिनांक 01.08.2003 से राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् की साधारण सभा की बैठक दिनांक 23.01.2003 के बिन्दु संख्या 8 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् के कार्य संचालन नियम (रूल्स ऑफ बिजनेस) का लागु किया गया है। इसके अध्याय 8 (मैनुअल–7) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टयां का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में लोक प्राधिकरण हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही विभागीय अपील प्राधिकारी का उल्लेख है। राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् हेतु सहायक लोक सूचना अधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी क्रीडा परिषद, लोक सूचना अधिकारी, सचिव क्रीडा परिषद् एवं विभागीय अपीलीय प्राधिकारी प्रमुख सचिव, सचिवालय जयपुर है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार हम खेल अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित जवाब से संतुष्ट है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी क्रीडा परिषद् द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में विहित समयावधि में अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत प्रस्तुत की प्रथम अपील ग्रहण किये जाने की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं हैं, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है, अतः अपील अपीलार्थी क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होना पाया जाता है, अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने के निर्देशों के साथ ही अपील अपीलार्थी को निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति जिला खेल अधिकारी चित्तौड़गढ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **31.10.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official